27- उस अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण जो पूर्व पंजीकृत हस्तान्तरण–पत्र में भूल से छूट गयी थी

यह हस्तान्तरण–पत्र दिनांक.....को क–ख, निवासी.....(जिसे एतद्पश्चात् 'विक्रेता' कहा गया है), प्रथम पक्ष तथा ग–घ, निवासी.....(जिसे एतद्पश्चात् 'विक्रेता' कहा गया है), द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया।

1. यह विलेख दिनांक.....के हस्तान्तरण–पत्र (जिसे एतद्पश्चात् ''मुख्य हस्तान्तरण–पत्र'' कहा गया है) और जो उन्हीं व्यक्तियों के मध्य जो इसके पक्षकार हैं और उसी क्रम में लिखा गया था, का पूरक है जिसका पंजीकरण उप निबन्धक कार्यालय में बही नम्बर–1 जिल्द पृष्ठ– संख्या.. दिनांक ... का हुआ है।

2. मुख्य हस्तान्तरण–पत्र में उल्लिखित (अथवा उसके पूर्व किये गये) करार द्वारा विक्रेता ने उस मूल्य में जिसका कि दिया जाना मुख्य हस्तान्तरण–पत्र में अभिव्यक्त है, न केवल उस सम्पत्ति को, जो तद्द्वारा हस्तान्तरित की गयी बल्कि उस अचल सम्पत्ति को भी जो एतद्द्वारा हस्तान्तरित की जाती है, विक्रीत करने का करार किया था, किन्तु भूल से मुख्य हस्तान्तरण–पत्र अन्तिम वर्णित सम्पत्ति छूट गयी थी।

3. पक्षकारों के आशय के अनुसार उक्त करार को पूर्णतया प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ विक्रेता क्रेता की प्रार्थना पर इस विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ है। अतः यह विलेख इस बात का साक्षी है कि एतद्पूर्व इसमें और मुख्य हस्तान्तरण–पत्र में उल्लिखित करारों के अनुसरण में और उस प्रतिफल के लिए, जिसका कि दिया जाना मुख्य हस्तान्तरण–पत्र में अभिव्यक्त है, विक्रेता, हिताधिकारी स्वामी के रूप में, एतद्द्वारा कुल.. .....(सम्पत्ति) को क्रेता के पक्ष में हस्तान्तरित करता है कि वह उसे उत्तराधिकार युक्त सम्पत्ति के रूप में धारण करें।

अभिप्रमाणन : ह0.....(क–ख)

साक्षी–1 :

साक्षी–2 ह0.....

(ग–घ)

नोट– उक्त विलेख पर छूटी हुई अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा।